राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या–31/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/166
दायर दिनांक– 09.12.2021
निर्णय दिनांक– 19.04.2023

1. तरूण जैन पुत्र सुरेशचन्द
2. मुकेश जैन पुत्र सुरेशचन्द

सर्वजाति महाजन, सर्वनिवासी ग्राम रूपनगढ़ जिला अजमेर

––प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ जिला अजमेर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान–भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–:1. श्री अरविन्द दाधिच, अधि0 प्रार्थीगण
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की ख0न0 2077 रकबा 0.2103 है0, ख0न0 2078 रकबा 0.1860 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.3963 है0 भूमि ग्राम रूपनगढ़ पटवार हल्का रूपनगढ़ तहसील रूपनगढ़ में अवस्थित है। प्रार्थीगण मौके पर काविज काश्त करते चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण की उक्त भूमि किसी भी प्रकार कोई दखल नहीं है। उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम होने के बावजूद प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध में भविष्य में विवाद उत्पन्न ना हो इसलिए उक्त खसरा नम्बर की पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण को अपने खेतो में भूमि की नींव, सींव मेड़ को लेकर आपत्ति एवं बाधा उत्पन्न ना हो इसलिए पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने के आदेश तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा हल्का पटवारी के नाम से करवाये। प्रार्थीगण ने सीमाज्ञान हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 28.07.2021 को करवाया गया जिसमें मौके पर भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार पूर्ण नहीं हुई ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की खातेदारी की नाप चौक कर पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख0न0 2077 व 2078 की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

19.4.22
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी का नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण में किसी तरह का कोई राजहित प्रभावित नहीं होना जाहिर किया गया।

हमने वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार तहसीलदार की वहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान के मध्य नींव सींव के संबंध विवाद होता रहता है इसलिए सीमाज्ञान करवाना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रूपनगढ़ के ख0न0 2077, 2078 कुल रकबा 0.3963 है0 भूमि की पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते है। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूप्ये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

19.4.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 13:45:32 IST
Reason: SelfAttested